



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266546
CG-DL-E-30092025-266546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 4294]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

का.आ. 4414(अ).—(अ): यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.1280 (अ) दिनांक 19 मार्च 2025 द्वारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना एनएच 72) के डिज़ाइन चेंजेज किमी 0.000 से 36.240 (पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश से झाझरा चौक, उत्तराखंड) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 और उसके बाद के संशोधनों (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना एनएच-72) के पोंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) - झाझरा चौक (उत्तराखंड) खंड तक के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 36.240 तक के खंड का चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 14.070 किमी [सारणी-2] निवल सड़क खंड लंबाई और 14.360 किमी [सारणी-4]) (1.436 किमी की लंबाई वाले) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 19.534 किमी [सारणी-3] की लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर का डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्घाटित और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में शाहपुर कल्याणपुर गाँव के पास एनएच -7 (पुराना एनएच -72) के किमी 13.400 पर	14.070 (बाईपास की लंबाई (लागत >10 करोड़) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी - 3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में शाहपुर कल्याणपुर गाँव के पास एनएच -7 (पुराना एनएच -72) के किमी 13.400 पर	पोंटा साहिब बाईपास	1.350	4.780	2.255	198.16	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	सहसपुर, सेलाकुई और झाझरा का संयुक्त बाईपास ।	18.700	36.240	17.279	394.79	
कुल लंबाई				19.534 किमी		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी 4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में शाहपुर कल्याणपुर गाँव के पास एनएच -7 (पुराना एनएच -72) के किमी 13.400 पर	1.436 [^]	14.360	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] विवरण निम्नानुसार है:

चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी से	किमी तक		
2.440	3.615	बड़ा पुल	1.175
32.976	33.081	बड़ा पुल	0.105
22.559	22.637	वीथूपी	0.078
31.652	31.730	वीथूपी	0.078
			1.436

5. राजमार्ग खंड पर एक से अधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी - 5		
देय राशि	अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग	वैधता की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
शुल्क की दो-तिहाई राशि पचास एकल यात्राओं के लिए देय	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007- 2008 के लिए प्रति कि.मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1646.22 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/2024/पीआईयू-वीवी-डीडीएन/ जिलापंचायतटोल /ई-254042]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

S.O. 4414(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 1280(E) dated the 19th March 2025 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 to 1988), the Central Government has entrusted the stretch from design chainage km 0.000 to 36.240 (Paonta sahib, HP to Jhajra chowk, UK) of National highway No. 7 (Old NH 72) in the State of Himanchal Pradesh & Uttarakhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 14.070 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 14.360 km (having length of 1.436 km [Table-4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 19.534 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane section of Poanta sahib(HP) – Jhajra Chowk (UK) section from design km. 0.000 to km 36.240 of National Highway number 7 (Old NH-72) in the State of Himanchal Pradesh & Uttarakhand and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45

Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20
--	------

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km. 13.400 of NH-7(Old NH-72) near Shahpur Kalyanpur Village in Dehradun District in the State of Uttarakhand	14.070 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km.)	Cost (in Rs. crores)	
At Km. 13.400 of NH-7(Old NH-72) near Shahpur Kalyanpur Village in Dehradun District in the State of Uttarakhand	Poanta sahib Bypass	1.350	4.780	2.255	198.16	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table 1 above
	Combined Bypass of Sahaspur, selakui and Jhajra.	18.700	36.240	17.279	394.79	
Total Length				19.534 km		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km. 13.400 of NH-7(Old NH-72) near Shahpur Kalyanpur Village in Dehradun District in the State of Uttarakhand	1.436^	14.360	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under:

Chainage	Type of Structure	Length (in Km)
----------	-------------------	----------------

From Km	To km		
2.440	3.615	Major Bridge	1.175
32.976	33.081	Major Bridge	0.105
22.559	22.637	VUP	0.078
31.652	31.730	VUP	0.078
			1.436

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs.350.00 (Rupees Three Hundred and Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1646.22 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/2024/PIU-VV-DDN/ZilaPanchayatToll /E-254042]

VIJAY KUMAR, Add. Secy.